International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue IV, July-August 2017 Available online at: www.ijaur.com

"भारतीय संविधान में महिला कल्याण संबंधी नीति"

डॉ.विकास कुमार मिश्र
राजनीति शास्त्र विभाग
'शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

सारांश–
भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकारते हुए, उन्हें समान अवसर प्रदान किये जाने की निश्चितता को संविधान की धारा 14, 15 और 16 में प्रतिपादित किया गया है। इन धाराओं के अनुसार महिलायें कानून के समक्ष बराबरी की हकदार है। रोजगार के क्षेत्र में उन्हें समानता का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे बच्चों एवं महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु विशेष कानून बना सकते हैं।

मुख्य शब्द – महिलायें, कानून, समानता एवं अधिकार ।

प्रस्तावना –
जब हमारे देश का संविधान बना तो देश की इच्छा को संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया। भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, जहां सभी नागरिकों को आर्थि, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार तथा अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता बनी रहेगी, सभी के बीच बंधुत्व बढ़ाया जायेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। देश के शासन में लोकसभा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मंत्रीपरिषद अपने कार्यों के लिये सामूहिक उत्तरदायी सिद्धान्त के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के मूल ढांचे में मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बराबर क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता का समन्वय स्थापित किया गया है। संविधान लागू होने के इतने सालों में भारत अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को कहाँ तक सिद्ध कर सका है या इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को कितनी उपलब्धियां हासिल हुई। इसमें महिलाओं के कितना न्याय मिला ? हम भारतीय संविधान की प्रस्तावनाा जिसमें भारतीय संविधान का समूचा दर्शन तथा जीवन मूल्य निहित है कि आधार पर उपलब्धियों का विश्लेषण करेंगे। ये जीवन मूल्य भारतीय राष्ट्र के चरम लक्ष्य हैं। अतः राष्ट्रीय जीवन की सफलता या भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियाँ इसी आधार पर आंकी जा सकती हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। यह हमारी रंगबिरंगी संस्कृति का प्रतीक है। यदा–कदा धार्मिक उन्माद को छोड़े तो सभी धर्मों को राज्य द्वारा बराबर संरक्षण दिया है, जिसके कारण राष्ट्र की एकता सुदृढ़ है।

संविधान के अनु. 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगी, निश्चित ही भारतीय संविधान इन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किया है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा अनु. 15 में परिवर्तन करते हुए सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिये राज्य की विशेष शक्ति दी गई। इस संशोधन द्वारा अनु. 31 के बाद 31(अ) तथा 31(ब) जोड़े गये उसके अनुसार प्रथा और सामन्तवाद की पुरानी प्रथाओं का उन्मूलन हुआ। सम्पत्ति के परम्परावादी अधिकारों को आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में सीमित किया। 79 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये आरक्षण की अवधि 25 जनवरी ई. तक बढ़ा दी गई। अनु. 14, 15, 16, 17 का क्रियान्वयन तेजी से हुआ है। नौ पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। हमारी बीमा योजना, हिन्दू कोड बिल 1955, 1956 लागू किये गये। टीकाकरण अभियान एवं नियोजन के उपाय अपनाये गये। 12 वीं कक्षा तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा तथा कुछ राज्यों में स्नातक स्तर तक मुफ्त है। सर्वशिक्षा अभियान लागू किया गया। भारतीय संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार सम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के अंत, स्वातंत्रय अधिकारों तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप दिया है। भारतीय संविधान अुन. 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया गया।

धारा 39 (ए), (डी) और (इ) धारा 42 में पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के अधिकार महिला एवं बाल–कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा, समान कार्य के लिये पुरुष–महिला को समान वेतन पाने का अधिकार, कार्य स्थल एवं कार्य की मानवीय परिस्थितियाँ तथा मातृत्व की रक्षा एवं इसे सुविधा प्रदान किये जाने की बात कही गई है।

1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं की उन्नति की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इनके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायो में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दी गई है। राजनीतिक दृष्टि से महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने और फैसला लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। नारी को स्वतंत्रता व अधिकार देकर शिक्षित बनाने में शासन का, समाज का और परिवार वालों का योगदान जरूरी है, जिससे वह शिक्षित होकर नौकरी, व्यापार आदि में भाग लेकर अपने परिवार की

आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और अपने परिवार व समाज के विकास में आगे बढ़ सके। आज के इस प्रतियोगी युग में नारी का स्वावलम्बित होना आवश्यक है।

विश्लेषण –

भारतीय संविधान में महिलाओं के कल्याण के संबंध में अत्यन्त उदारता बरती गई है। इसके बाद भी भारतीय समाज में स्त्रीयों पर तथाकथित स्थलों पर अत्याचार होता रहता है, क्योंकि समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, सम्प्रदायिकता जातिवाद ने इस हिंसा के बढ़ावे को प्रोत्साहन दी है। इन अत्याचारों से बचने के लिए भारतीय संविधान में महिला कल्याण नीतियों का निर्धारण किया गया है। यह संविधान दिवानी और फौजदारी दो प्रकार के है। दिवानी प्रकरणों में वैवाहिक घर में रहने का अधिकार, गुजारे का अधिकार, तलाक, पति से अलग रहने का अधिकार घरेलू हिंस के मामले में दिवानी उपाय के रूप में फैमली कोर्ट आदि शामिल है। दिवानी मुकदमों में अधिवक्ता की सहायता लेना आवश्यक होता है। फैमली कोर्ट में प्रायः वकीलों को जिरह करने की इजाजत नहीं होती और वहाँ महिला को खुद अपनी पैरवी करनी पड़ती है। दिवानी अदालत की कार्यवाही लम्बी और खर्चीली भी हो सकती है। फौजदारी कानूनों के द्वारा निजी शिकायत दर्ज करने के कानून हैं ऐसी स्थिति में महिला को स्वयं अदालत में जाना पड़ेगा परन्तु पुलिस ने अपराध का संगेय लिया है तो मुकदमा पुलिस चलायेगी और महिला का हर तारीख में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है सिर्फ जिस दिन गवाही देनी हो या सबूत पेश करना हो उस दिन महिला को उपस्थित होना पड़ेगा। फौजदारी शिकायत में फैसला होने में चार – पांच साल तक लग जाते हैं परन्तु फौजदारी मुकदमों में एक दफा आरोपित होने पर केवल अदालत ही मुजरिम को सजा सुना सकती है।

भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है –

धारा 498 ए – पति या उसके रिश्तदारों द्वारा औरत पर क्रूरता :–

इस धारा में क्रूरता का मतलब है ऐसा कोई भी जानबूझ कर दिया जाने वाला व्यवहार जिसकी वजह से औरत आत्महत्या करने की कोशिश करे या औरत की जान शरीर या स्वास्थ्य को गम्भीर चोट पहुंचे और औरत को सताना उसके ऊपर या उसके रिस्तेदारों के ऊपर ऐसा दबाव डालना कि सम्पत्ति या कीमती प्रतिभूति की मांग पूरी हो या मांग पूरी न होने पर उस पर अत्याचार हो। इसमें कुल सजा तीन साल की है परन्तु आत्महत्या के लिये दबाव डालने पर धारा 306 लागू होती है जिसमें अधिकतम सजा 10 साल तक है।

धारा 304 बी – दहेज मृत्यु :–

जब एक औरत की मृत्यु विवाह के बाद सात साल के अन्दर जलने से या शारीरिक चोट से या स्वाभाविक परिस्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से होती है और यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व पति या उसके रिश्तेदार ने दहेज या उसकी मांग को लेकर उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था या उसे सताया था तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा। इस धारा में दहेज का वही मतलब होगा हो दहेज अधिनियम, 1966 में वर्णित है। इसमें अधिकतम आजीवन कारावास है।

धारा 304/344 – गलत रूप से रोक कर या कैद करके रखना:–

किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करके रखना या रोक कर रखना गैर–कानूनी है। यह असंज्ञेय अपराध माना जाता है। इसमें जुर्माने के अतिरिक्त 3 साल तक कारावास की सजा है परन्तु यदि 10 दिन से अधिक गैर–कानूनी तरीके के कैद कर रखा हो तो सजा सात साल की हो सकती है।

धारा 376 ए – अलग हुइ पत्नी के साथ पति का यौन सम्बन्ध :–

पति या पत्नी के यौन सम्बन्ध अपराध नहीं माना जाता परन्तु अगर पत्नी विच्छेद की डिग्री के अन्तर्गत या दस्तूर के मुताबिक अलग रही है और पति उसकी मर्जी के खिलाफ यौन सम्बन्ध करता है तो यह अपराध है। इसमें जुर्माने के साथ दो साल तक की सजा है। यदि महिला बिना तलाक का आवेदन किये वैसे ही पति से अलग रह रही है तब पति द्वारा पत्नी से यौन सम्बन्ध अपराध नहीं माना जाता।

धारा 319 और 323 – मारपीट करना :–

पीटने का मतलब है, चोट पहुंचाना। पत्नी को तमाचा मारना, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने के लिए डण्डे, लौहे की छड़, जेज धार वाली वस्तु आदि का प्रयोग पीटने के अपराध की गम्भीरता और इसके इरादे को स्पष्ट करता है। अपराध की गम्भीरता पर यह सजा 3 माह से 7 वर्ष तक हो सकती है। इसमें 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है। भारतीय संविधान के कुछ और प्रावधान जो महिला को राहत दे सकते हैं, इस प्रकार हैं –

अपराध	धारा	अधिकतम
जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाना	325	7 वर्ष
महिला के प्रति अश्लीन हरकतें करना या अपमानित करने वाले अपशब्दों का प्रयोग झूठा आरोप लगाना	509	2 वर्ष
पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष
नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना	366 ए	10 वर्ष
बलात्कार	376	12 वर्ष
औरत का अपहरण	366	10 वर्ष
विश्वास भंग करना	405,406, 414	10 वर्ष
विधि सम्मत विवाह के बिना धोखाधड़ी से विवाह की रस्म करना	496	7 वर्ष

दण्ड संहिताा प्रक्रिया की धारा 160 के अन्तर्गत किसी महिला को थाने में पूछतांछा के लिए आने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस को उसके घर पर ही पूछतांछ करनी चाहिए। अगर पुलिस महिला को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे महिला को यह हक है कि वह यह जानकारी करे कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। शाम के बाद ऐसी स्थिति में महिला पुलिस का होना आवश्यक है। महिला को यदि रात को थान में रखा जाता है तो वहाँ महिला पुलिस का होना आवश्यक है। यदि महिला के साथ किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो इसकी रपट थाने में लिखित या मौखिक की जा सकती है। रिपोर्ट दर्ज करके उसकी नकल बिना फीस के देना पुलिस का फर्ज है। महिला को ऐसी नकल की मांग जरूर करनी चाहिए। तलाक, विवाह, भरण पोषण, जायजाद, बच्चा गोद लेने व पत्नी के भरण पोषण के अधिकार हिन्दुओं, पारसी, ईसाई और मुस्लिम वर्ग में अलग – अलग हैं। सिक्ख और बौद्ध हिन्दुओं में ही आते हैं। हिन्दू महिलाओं के लिए अनेक कानून प्रभावी है, जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिय, 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1956 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 आदि इनमें से कुछ में समयानुसार सुधार की आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939, मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 हैं। भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 से लागू है। परन्तु सुधार की मांग बराबर उठती रहती हैं। पारसी विवाह सम्बन्धी कानून में भी इस वर्ग की महिलायें संशोधन की मांग उठाती रहती है।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न के और बहुत से प्रकार हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है। जैसे पत्नी को उसके माँ–बाप से मिलने से रोकना, पति की असफलता पर पत्नी को दोषी मानना, ससुराल वालों के ताने और रोज की किचकिच, पुत्री पैदा होने पत्नी को ही दोषी मानना, पत्नी की सलाह के बिना पति द्वारा पेशा बदलना। एक बार महिला कानून का सहारा लेना तय करती है फिर उसके ससुराल या पति से मधुर सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकतें इसी प्रकार जब कार्य क्षेत्र में छेड़छाड़ या काम प्रताड़नायें दी जाती है तब भी अपमान महिला को ही झेलना पड़ता है। महिलाओं के प्रति अत्याचारों का प्रतिरोध कानून से किया जा सकता है परन्तु कानूनी इन्साफ प्राप्त करना आसान नहीं है। कानूनी रास्ते कांटों भरा और उलझा हुआ है, परन्तु ऐसा भी नहीं है कि उसे पार नहीं किया जा सकता हाँ, यह रास्ता स्त्री को स्वयं तय करना है।

संदर्भ –

1. Buch, Nirmala: Women's experience in New Panchayats: The emerging conductivity of Rural India, Center for Women's Development studies, New Delhi, 2000.
2. मुकर्जी, डॉ. रवीन्द्र नाथ रू भारत में सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2001-
3. Mohanty, B. :Panchyati Raj Institution & Woman's, Ed. Bharti Ray & A. Narayan Basu – from Independence towards freedom oxford university, Press, New Delhi, 1999.
4. Singh, S.K.: Role of Panchayati Raj in India, Radha Publication New Delhi, 1992.
5. Sinha, Hiroj : Women in Indian Politics Gyan Publishing House, New Delhi, 2000.
6. शर्मा, डॉ. प्रभुदत्त शर्मा रू अभिनव राजनीति चिंतन, रिसर्च दिल्ली 1989.
7. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण महिला सशक्तीकरण, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
8. जिला सांख्यिकी कार्यालय शिल्पी प्लाजा रीवा (म.प्र.) महिला एवं बाल विकास विभाग रीवा (म.प्र.)

.